

संख्या एन-28011/9/2021-बीसी.III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110001

27 दिसंबर 2021

सेवा में,  
सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: मीडिया प्रोडक्शन में बाल एवं किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016 और बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) नियम, 1988 के प्रावधानों का अनुपालन।

बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016 किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तथापि, धारा 3(2)(ख) के तहत यह वहां लागू नहीं होता है जहां बालक "ऑडियो-विजुअल मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार के रूप में कार्य करता है, जिसमें विज्ञापन, फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिक या ऐसी शर्तों और सुरक्षा उपायों के अध्यक्षीन कोई अन्य मनोरंजन शामिल है।" जैसा कि निर्धारित किया जा सके, बशर्ते कि इस अनुच्छेद के तहत ऐसा कोई भी कार्य बच्चे की स्कूली शिक्षा को प्रभावित नहीं करेगा"। बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) नियम, 1988 के नियम 2 (ग) में निर्धारित ऐसी शर्तों और सुरक्षा उपायों का सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

2. बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) नियम, 1988 के नियम 2 ग (ख) में निम्नानुसार प्रावधान है: -

"किसी भी ऑडियो विजुअल मीडिया प्रोडक्शन या किसी बच्चे की भागीदारी वाले किसी व्यावसायिक कार्यक्रम के निर्माता को एक बच्चे को भागीदारी में शामिल करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों की सभी स्क्रीनिंग एक अस्वीकरण के साथ की जाएगी जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या शूटिंग में किसी बच्चे की भागीदारी है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएं कि शूटिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसे बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण न हो।"

3. यह देखा गया है कि उपरोक्त नियम 2(ग)(ख) के अनुपालन की रिपोर्ट नहीं की जा रही है और उपरोक्त अस्वीकरण अधिकांश मीडिया प्रोडक्शन या व्यावसायिक कार्यक्रमों में नहीं पाया जाता है जहां बाल कलाकार शामिल हुए हैं।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों से अनुरोध किया जाता है कि वे मीडिया प्रोडक्शन या व्यावसायिक कार्यक्रमों में उक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(जीसी एरोन)

निदेशक (बीसी)

दूरभाष: 23386394

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), बी304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049

2. अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ), 3-बी, जीजी-2 ब्लॉक, विकास पुरी, नई दिल्ली - 110018 ([nbf@newsbroadcastersfederation.com](mailto:nbf@newsbroadcastersfederation.com))